न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
112 / 2024	21.03.2024	16.04.2024

उनवान

1. भूपेन्द्र पुत्र श्री शंकर लाल जाति मोगरा आयु वयस्क, निवासी—155, वकील कॉलोनी, भीलवाडा (राज.)
2. महेन्द्र पुत्र श्री शंकर लाल जाति मोगरा आयु वयस्क, निवासी—155, वकील कॉलोनी, भीलवाडा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरू लाल पिता हीरा लाल जाट, आयु वयस्क, निवासी—कालसास तहसील व जिला भीलवाड़ा—राज
2. कैलाश चन्द्र पिता श्री मोहन खटीक, आयु वयस्क, निवासी—दादा बाढी, भीलवाडा—राज
3. बालु पिता नाथु जाट, आयु वयस्क, निवासी—कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा—राज.
4. लीला देवी पत्नि श्री रामलाल नाथ आयु वयस्क, निवासी—कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा—राज.
5. राजकुमार पिता श्री बरदीचंद माली, आयु वयस्क, निवासी संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा—राज,
6. भंवर लाल पिता नारायण कलाल आयु वयस्क, निवासी—कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा—राज.
7. रामलाल पिता श्री छोगा नाई आयु वयस्क, निवासी—कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा—राज.
8. रामु पुत्री श्री कजोड मील, आयु वयस्क, निवासी—कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा—राज.
9. कैलाश पुत्र हीरा भील आयु वयस्क, निवासी—कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा—राज.
10. शिव नारायण पुत्र देवी लाल ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी—कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा—राज.
11. लादु पुत्र छीतर कीर, आयु वयस्क, निवासी—कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा—राज
12. नन्दा पुत्र श्री दयाराम बलाई आयु वयस्क, भीलवाड़ा—राज. निवासी—कालसांस जिला
13. दिनेश माता डाली बलाई आयु वयस्क, निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा—राज

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

14. जितेन्द्र सिंह पुत्र गुमान सिंह राजपूत, आयु वयस्क निवासी कालचास तहसील व जिला भीलवाडा–राज
15. चुना पुत्र भागीरथ जाट, आयु वयस्क, निवासी–कालसास तहसील व जिला भीलवाडा–राज
16. प्रभुलाल पुत्र मूलदास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी–कालतांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज
17. जमना पुत्र लक्ष्मण जाट, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला मीलवाडा–राज
18. लाला पुत्र छोगा लाल जाट, आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज
19. अणदा पुत्र गणेश लाल कलाल आयु वयस्क, निवासी कालसास तहसील व जिला भीलवाडा–राज
20. इन्द्रराज पुत्र जमना लाल ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी कालसास तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज
21. गौरव पुत्र महेश ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी–कंवलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा–राज.
22. सोनल पति नितेश अग्रवाल, आयु वयस्क, निवासी–4–ए–2 आर.सी व्यास कॉलोनी, भीलवाडा–राज
23. शमीम बानो पत्नि मोहम्मद आरिफ अंसारी, आयु वयस्क, निवासी मोमीन मौहल्ला, बेगू तहसील बेगूं जिला चित्तौडगढ़–राज.
24. रतनलाल पुत्र श्री उदयलाल गाडरी आयु वयस्क, निवासी कालसास तहसील व जिला भीलवाडा–राज.
25. मदनलाल पुत्र श्री कन्हेयालाल ब्राह्मण आयु वयस्क, निवासी–कालसांस तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी प्रकाश देवाणी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 25 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: <u>निर्णय</u> :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कालसांस प0ह0 रीछड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 560 की अभिलिखित आराजियात 1940, 1944, 2061, 2069, 2070, 2270/1468, 2271/1940 कुल किता 07 कुल रकबा

Ahad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

6.7273 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 25 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा कालसांस प0ह0 रीछड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 560 की अभिलिखित आराजियात 1940, 1944, 2061, 2069, 2070, 2270/1468, 2271/1940 कुल किता 07 कुल रकबा 6.7273 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा